

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प 3(114)-नविप/3/2012

जयपुर दिनांक 4 जुलाई, 2012

परिपत्र

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की विलोपित धारा 90-बी के अधीन लभित अथवा निर्णीत प्रकरणों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 90-ए के संशोधित प्रावधानों के दृष्टिगत कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहे जा रहे हैं। अतः इस विषय में निम्नांकित मार्ग-दर्शन/स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें धारा 90-बी की कार्यवाही हेतु नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन अन्तिम आदेश जारी नहीं हुए हैं, ऐसे प्रकरणों को अब धारा 90-ए के नये प्रावधानों के तहत अंगीकार (Adopt) करते हुये नोटिस जारी होने के आगे की शेष कार्यवाही सम्पादित की जावे।
2. ऐसे प्रकरण जिसमें धारा 90-बी की कार्यवाही के बाद अन्तिम आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं, लेकिन मास्टर प्लान में भू-उपयोग भिन्न होने के कारण पट्टा जारी होने की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो पाई है, ऐसे प्रकरणों में अब केवल भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार होनी है, लेकिन धारा 90-ए की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
3. ऐसे प्रकरण जिसमें धारा 90-बी के अन्तर्गत अन्तिम आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं, लेकिन पट्टा जारी नहीं हुए हैं, उन प्रकरणों में धारा 90-ए की कार्यवाही की अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन पट्टा जारी करने से पूर्व नये नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रीमियम दरों की अन्तर राशि वसूल की जायेगी।
4. ऐसे प्रकरण जिसमें तत्समय लागू मास्टर प्लान अथवा स्वीकृत भू-उपयोग के अनुसार 90-बी के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं लेकिन पट्टा जारी नहीं हुआ है उनमें तत्समय के भू-उपयोग अनुसार पट्टा जारी किया जा सकेगा।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. शासन उप सचिव- प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति समस्त नगरनिगमों/नगरपरिषदों/नगरपालिका मण्डलों को भिजवाने की व्यवस्था करावे।
8. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

रूप शासन सचिव-द्वितीय